न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **47/18 (वाद)**

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

........वादी

बनाम्

1. श्री मनमोहन गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री यशवन्त गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्रीमान् तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मनीष तम्बोली, अधिवक्ता वादी।

2. श्री राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.03.2018

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनी कलां तह. मावली में स्थित आराजी नम्बर 1011, 1015 किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में एम.आर.मोर इण्स्ट्रीज फतहनगर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त आराजी नम्बर 1011 श्री नाथुसिंह निवासी वासनीकलां से दिनांक 27.09.1986 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये श्री मोर एम. आर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर ने 7,000/– रूपयें में क्रय की तथा आराजी नम्बर 1015 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा श्री उंकारलाल महाजन निवासी सनवाड़ से दिनांक 09.07.1990 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये श्री प्रहलादराय पिता बंशीलाल अग्रवाल, श्री दामोदरलाल पिता प्रहलादरायजी अग्रवाल एवं एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर ने संयुक्त रूप से क्रय की। कालान्तर में उक्त आराजी नम्बर 1015 का खातेदारान के मध्य विभाजन होकर के आराजी नम्बर 1015 मी. रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज के हिस्से व कब्जें में रही व इसके वर्तमान आराजी नम्बर 1015 बने हैं।
2. एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर श्री गोपीलाल पिता राधाकिशन जी अग्रवाल थे और उनका स्वर्गवास दिनांक 06.07.2011 को हो गया व उनके वारिस पुत्र ादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एवं पुत्रियां लक्ष्मीदेवी व कुसुम तथा पत्नी शांतिदेवी है तथा लक्ष्मीदेवी, कुसुम व शांतिदेवी जी ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र

दिनांक 07.02.2013 के जरिये वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया। इस प्रकार उक्त जैर बहस आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के प्रोपराईटर होकर काबिज हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जैर बहस आराजी नम्बर 1011, 1015 एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है अतः उसमें प्रोपराईटर के रूप में वादी व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। बिनाय दावा दिनांक 05.03.2018 से पैदा हो रही हैं।

3. अतः वादी की प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि ग्राम वासनी कलां तह. मावली में स्थित आराजी नम्बर 1011, 1015 वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर एम.आर. मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के साथ ही वादी व प्रतिवादीगण का नाम प्रोपराईटर के रूप में अंकित किया जावें। अन्य अनुतोष जो वादी को दिलाना न्यायोचित हो वह दिलाया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण स्व. गोपीलाल जी के वारिस एवं एम.आर. मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के संयुक्त प्रोपराईटर होकर काबिज हैं। वाद पत्र डिक्री किये जाने में हमारी भी सहमति है और एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर के रूप में वादी तथा हम प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावें। राजपेरोकार द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

5. प्रकरण में साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री सोहनलाल के शपथ पत्र पेश कियें।

6. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2, विक्रय पत्र प्रदर्श 3 व 4, सहमति विभाजन प्रदर्श 5, गोपीलाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, हक त्याग पत्र प्रदर्श 7, नामान्तरकरण की नकल प्रदर्श 8 व 9, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10 पेश किये।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में एम. आर. मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के नाम पर दर्ज हैं। उक्त भूमि आराजी नम्बर 1011

दिनांक 27.09.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 7000/– रूपयें में शम्भूसिंह पिता नाथुसिंह से क्रय की एवं आराजी नम्बर 1015 दिनांक 09.07.1990 को उंकार पिता नाथुलाल से एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर गोपीलाल मोर द्वारा क्रय करना बताया। वर्तमान में भूमि एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के नाम दर्ज हैं। तत्कालीन प्रोपराईटर श्री गोपीलाल जी का स्वर्गवास होना बताया। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रस्तुत किया हैं। जिसके पीछे सजरे में गोपीलालजी मोर के वारिसों का अंकन किया हैं। गोपीलालजी के वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 हैं एवं पुत्रियों एवं पत्नी द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रदर्श 7ए निष्पादित कराया। चूंकि गोपीलालजी के वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 हैं, जो उक्त भूमि में प्रोपराईटर गोपीलालजी के बजाय अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं। भूमि गोपीलालजी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जाना साबित होता हैं। भूमि के प्रस्तावित बंटवाडा सूची प्रदर्श 5 के ए से बी में गोपीलालजी स्वयं के हस्ताक्षर कर रखे हैं एवं प्रस्तावित बंटवाडा नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10 में भी गोपीलालजी के हस्ताक्षर किये हुए हैं। भूमि पर गोपीलालजी की मृत्यु के बाद से ही वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 काबिज हैं। चूंकि गोपीलालजी की मृत्यु होने से भूमि के विकास कार्य एवं इण्डस्ट्रीज के अन्य कार्यों में बाधा आ रही है जिससे भूमि में प्रोपराईटर के रूप में वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम का अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1011, 1015 किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि में एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के बजाय एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर वादी सोहनलाल गोयल, प्रतिवादी सं. 1 मनमोहन गोयल, प्रतिवादी सं. 2 यशवन्त गोयल को दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

........वादी

बनाम्

1. श्री मनमोहन गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री यशवन्त गोयल पिता स्व. गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्रीमान् तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 47/18 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1011, 1015 किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि में एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर के बजाय एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर वादी सोहनलाल गोयल, प्रतिवादी सं. 1 मनमोहन गोयल, प्रतिवादी सं. 2 यशवन्त गोयल को दुरूस्त किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली